न्यायमूर्ति रितु बाहरी, के समक्ष

राम मूर्ति-----------------याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण

2018 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5198

08 जनवरी, 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 भारी वाहन चालकों का चयन-याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा और ड्राइविंग दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की-'उत्कृष्ट खिलाड़ी' (ओएसपी) प्रमाण पत्र के अभाव में दस्तावेजों की जांच में उम्मीदवारी खारिज कर दी गई -और इसलिए कट-ऑफ तिथि पर पात्रता को पूरी नहीं कर रहा है , हालांकि खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेजों की जांच के बाद जारी किया गया था, यह कट-ऑफ तिथि से बहुत पहले आयोजित खेल आयोजनों से संबंधित था-इसके अलावा, यहां तक कि विज्ञापन में भी साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी-याचिकाकर्ता का अस्थायी रूप से साक्षात्कार-कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश करने का निर्देश दिया।

यह मानते हुए कि वर्तमान मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।इस मामले में भले ही स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दस्तावेजों की जांच के बाद जारी किया गया था, लेकिन यह खेल आयोजन से संबंधित था जो कट ऑफ डेट से बहुत पहले आयोजित किया

गया था।इसके अलावा, दिनांक 18.5.2017 (अनुलग्नक पी-1) के विज्ञापन में भी यह शर्त थी कि साक्षात्कार के समय खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी के तहत भारी वाहन चालक के पद पर चयन के लिए पात्र था। (पैरा 6)

कंवल गोयल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

हरीश नैन, ए. ए. जी, हरियाणा।

न्यायमूर्ति रितु बाहरी।

(1) वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सूची दिनांक 12/02/2018 (अनुलग्नक पी-9) को चुनौती दी है जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर कर दी गई और उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। विज्ञापन दिनांक 18/05/2017 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, प्रतिवादी नं.2-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित)ने भारी वाहन चालक के 2038 पदों का विज्ञापन दिया, जिनमें से 20 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओ. एस. पी.) सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित थे।याचिकाकर्ता ने भारी वाहन चालक के पद के लिए ओएसपी सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

(2) 1.3.2018 को,याचिका की सूचना जारी करने के समय, प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता का अस्थायी रूप से साक्षात्कार करने का निर्देश दिया गया था।यह भी आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।22/10/2019 को, राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता का परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया।परिणाम के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ओएसपी सामान्य श्रेणी के तहत 84 अंक प्राप्त किए, जबकि कट-ऑफ अंक 30 थे। उस तारीख को, राज्य के वकील ने इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।

(3) 07/01/2020 को दायर जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ जो 06/08/2017 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा 10/11/2017 को घोषित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को चुने गए उम्मीदवारों में से एक के रूप में दिखाया गया था।याचिकाकर्ता सहित चुने गए उम्मीदवारों को दिनांक 10/11/2017 नोटिस के माध्यम से 14/11/2017 को दस्तावेजों की जांच और ड्राइविंग दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता 14/11/2017 को जांच और ड्राइविंग परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ।दस्तावेजों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था लेकिन याचिकाकर्ता के पास ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं था।वास्तव में, आवेदन पत्र भरने के समय, याचिकाकर्ता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं था।बल्कि,

उन्होंने दस्तावेजों की जांच के बाद खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया।इसलिए, याचिकाकर्ता को भारी वाहन चालक के पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था क्योंकि वह कट-ऑफ तिथि पर विचाराधीन पद के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं कर रहा था।इस अदालत के दिनांक 01/03/2018 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता का अस्थायी रूप से 28/03/2018 को साक्षात्कार किया गया था।साक्षात्कार के लिए उपस्थिति पत्रक की प्रति उत्तर के साथ अनुलग्नक आर-2/1 के रूप में संलग्न की गई है।

(4) एकमात्र सवाल जो तय किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या दस्तावेजों की जांच के चरण में प्रतिवादीगण द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित था।

(5) वर्तमान रिट याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, वह इस अदालत द्वारा पहले ही संदीप बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4920 द्वारा 11/05/2018 को निर्णयकिया जा चुका है इस मामले में भी याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी भारी वाहन चालक के पद के लिए उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों की सामान्य श्रेणी में दस्तावेजों की जांच के समय खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए अस्वीकार कर दिया गया था।प्रतिवादीगण के अनुसार, उक्त प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि पर उपलब्ध होना चाहिए था।रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस अदालत ने याचिकाकर्ता का अस्थायी रूप से साक्षात्कार करने का आदेश दिया।साक्षात्कार के समय,

उसने एक वैध खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।याचिकाकर्ता ने कुल 87 अंक प्राप्त किए और ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 78 अंक प्राप्त किए। इस अदालत द्वारा पारित एक फैसले नीरज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2017 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18879) में 27/11/2017 को निर्णय किया गया था, के मामले का संदर्भ दिया गया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्र वास्तविक है और जिन प्रतियोगिताओं के आधार पर इसे जारी किया गया है, वे विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि से पहले आयोजित किए गए हैं, एक उम्मीदवार को विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है।उक्त निर्णय अंतिम हो गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई एल. पी. ए. दायर नहीं किया गया था।उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादीगण ने दस्तावेजों की जांच के चरण में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित नहीं था।जिन प्रतियोगिताओं के आधार पर खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वे विज्ञापन में निर्धारित कट-ऑफ तिथि से बहुत पहले आयोजित किए गए थे।

(6) वर्तमान मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। इस मामले में भले ही खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेजों की जांच के बाद जारी किया गया था, लेकिन यह खेल आयोजन से संबंधित था जो कट ऑफ तिथि से बहुत पहले आयोजित किया गया था।इसके अलावा,

दिनांक 18.5.2017 (अनुलग्नक पी-1) के विज्ञापन में भी एक शर्त थी कि साक्षात्कार के समय खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता ओ. एस. पी. सामान्य श्रेणी के तहत भारी वाहन चालक के पद पर चयन के लिए पात्र था।

(7) नतीजतन, प्रतिवादी नं 2-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद, प्रतिवादी नं.3- महानिदेशक, परिवहन विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ अगले 15 दिनों के भीतर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। याचिकाकर्ता को उस तारीख से वैचारिक रूप से नियुक्ति दी जाएगी, जब उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्त किया गया है।

(8) तदनुसार अनुमति दी गई।

त्रिभुवन दहिया

सुमन देवी ट्रांसलेटर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।